No.31011/5/2007-Estt.(A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, 27 September, 2007.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Relaxation in LTC Rules – delegation of powers to Ministries/Departments regarding time limit for the submission of the claim.

Rules 14 & 15 of LTC Rules provide that a claim for reimbursement of expenditure incurred is to be submitted within three months after the completion of the return journey, if no advance had been drawn and within one month after the completion of the return journey if advance had been drawn. It has now been decided to delegate the powers to relax these provisions to the Ministries/Departments, where a Government servant is not in a position to submit the claim within the prescribed time limit and the Ministry/Department is satisfied that he was not able to do so due to compelling circumstances beyond his control. The Ministry/Department concerned with the concurrence of Financial Advisor can admit the claims in such cases in relaxation of the provisions subject to the following time limits without reference to DoP&T:-

(a) where no LTC advance is taken, LTC bill submitted within a period not exceeding six months;

(b) where LTC advance has been drawn the LTC claim for reimbursement submitted within a period of three months after the completion of return journey (provided the Government servant refunds the entire advance within 45 days after the completion of the return journey).

2. Ministries/Departments are requested to keep these instruction in view while processing belated LTC claims.

3. These instructions will be effective from the date of issue of this O.M..

(P. Prabhakaran)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India with usual number of spare copies.

**Copy to:**

1. President's Secretariat, Rashtrapathi Bhavan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
6. Central Vigilance Commission, New Delhi
7. Union Public Service Commission, New Delhi.
8. Staff Selection Commission, New Delhi.
9. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
10. All Union Territory Administrations.
11. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
12. All attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
13. All Officers and Sections of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
14. Website Section, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi.
15. Facilitation Centre, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, North Block, New Delhi – 25 spare copies.
16. 200 spare copies.

संख्या-31011/5/2007-स्थापना (क)

**भारत सरकार**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 27 सितम्बर, 2007

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: एल.टी.सी. नियमावली में रियायत – दावे प्रस्तुत करने की समय-सीमा के संबद्ध में मंत्रालयों/विभागों को अधिकारों का प्रत्योयोजन।

एल.टी.सी. नियमावली के नियम 14 और 15 में यह व्यवस्था की गई है कि किए गए व्यय के पुनर्भुगतान के दावे को यदि कोई अग्रिम नहीं लिया गया है तो वापसी यात्रा के तीन महीने के भीतर तथा यदि अग्रिम लिया गया है तो एक महीने के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए। अब मंत्रालयों/विभागों को इन प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने के लिए अधिकार प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया है, यदि सरकारी सेवक निर्धारित समय में दावे प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो तथा मंत्रालय/विभाग इस बात से सहमत है कि वह अपने नियंत्रण के बाहर की बाध्यकारी स्थितियों के कारण ऐसा नहीं कर सका। संबंधित मंत्रालय/विभाग वित्तीय सलाहकार की सहमति से इन प्रावधानों के अंतर्गत शिथिलता के परिप्रेक्ष्य में ऐसे दावों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संदर्भित किए बिना निम्नलिखित समय-सीमा के आधार पर स्वीकार कर सकता है :

(क) जहां पर एल.टी.सी. अग्रिम न लिया गया हो तो एल.टी.सी. बिल 6 माह तक की समय अवधि में प्रस्तुत किया जा सकता है;

(ख) जहां पर एल.टी.सी. अग्रिम लिया गया है तो एल.टी.सी. दावे को पुनर्भगतान हेतु यात्रा से वापस आने के बाद तीन महीने की समय अवधि में प्रस्तुत किया जा सकता है। (बशर्ते सरकारी सेवक यात्रा से वापस आने के 45 दिनों के अन्दर सारी धनराशि वापस जमा करा देता है)।

2. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि देर से प्रस्तुत किए गए दावों पर कार्यवाही करते समय इन अनुदेशों को ध्यान में रखें।

3. ये अनुदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

पी. प्रभाकरण

(पी. प्रभाकरण)

उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित।

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. सभी संघ शासित प्रशासन।
11. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
12. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
13. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।
14. वेब साइट सेक्शन, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
15. सुविधा केन्द्र, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 25 अतिरिक्त प्रतियां।
16. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ।